राजस्थान सरकार
वित्त (आर्थिक मामलात्) विभाग

क्रमांकः एफ.5 (थ–75)कोष / IFMS/पे–मैनेजर / 15799-16298 दिनांक 31 | X / 2017

विभागाध्यक्ष
समस्त।

विषयः– कार्मिकों से मास्टर डेटा को अधतन किए जाने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के तहत समस्त कार्मिकों का वेतन भुगतान Paymanager (राज्य कार्मिको हेतु) तथा PRI Paymanager (पंचायतीराज कार्मिको एवं अन्य निकायों / निगमों के कार्मिको हेतु) के माध्यम से किया जा रहा हैं। इस प्रक्रिया में समय–समय पर उपलब्ध कार्मिकों के मास्टर डेटा के विश्लेषण में यह तथ्य दृष्टिगत हुआ हैं कि कतिपय प्रकरणों में डेटा या तो अपूर्ण हैं अथवा अधतन नही हैं। अतः इस हेतु Paymanager एवं PRI Paymanager पर संधारित कार्मिकों के मास्टर डेटा को माह नवम्बर 2017 (देय माह दिसम्बर 2017) के वेतन बिल बनाने से पूर्व अधतन / पूर्ण किया जाना हैं। मास्टर डेटा अधतन / पूर्ण किये जाते समय निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखकर डेटा अपडेट किया जाना सुनिश्चित किया जावें:–

1. मास्टर डेटा में कार्मिक के Status Part से संबंधित सभी कॉलम्स की जांच कर पूर्णतया सही एवं शुद्ध इंद्राज किया जावें।
2. Date of Joining in Service, Date of Regular Service, Date of Present DDO, Date of Present Designation तथा Date of Present Pay Scale के सभी कॉलम पूर्ण रूप से सही–सही भरे जाने आवश्यक हैं।
3. Pay Details के कॉलम में Grade Pay का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है।

उक्त संदर्भ में आपके अधीनस्थ समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित कर वांछित कार्यवाही करवायी जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करे। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त डेटा पब्लिक डोमेन में भी प्रदर्शित करवाया जाना प्रस्तावित हैं तथा कार्मिक के मास्टर डेटा की शुद्धता एवं प्रमाणिकता हेतु संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होगें। अतः डेटा की शुद्धता एवं प्रमाणिकता विशेष रूप से व्यक्तिशः ध्यान देते हुए सुनिश्चित की जाये।

भवदीय

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

www.rajteachers.com

क्रमांक: एफ.5(थ–75)कोष / IFMS/पे–मैनेजर / 16299–16301 दिनांक 31/X/2017

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, योजना भवन, जयपुर
2. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., वित्त भवन, जयपुर
3. अतिरिक्त निदेशक (आई.टी.) वित्त विभाग को साईट पर अपलोड करवाने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव

www.rajteachers.com